UPRN010039672026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) , कानपुर देहात।

उपस्थितः- **हिमांशु कुमार सिंह . . . . . उच्चतर न्यायिक सेवा (H. J. S.)**

J. O. CODE NO. - UP 1817

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1536/ 2026

रामजीत यादव पुत्र श्री राजेश यादव, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी बनियानी, थाना तालग्राम, जिला कन्नौज **. . . . . आवेदक/ अभियुक्त**

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य **. . . . . विपक्ष/ अभियोजन पक्ष**

मु०अ०सं०- 72/ 2026

धारा- 137(2) , 87 बी०एन०एस०

थाना- रनियां, कानपुर देहात।

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण

आवेदक/ अभियुक्त **रामजीत यादव पुत्र श्री राजेश यादव** की ओर से नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 1536/ 2026, अ०सं०- 72/ 2026, धारा- 137(2) , 87 बी०एन०एस०, थाना रनियां, जिला कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त नियमित जमानत प्रार्थना पत्र के आधार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा ने सोच- विचार कर के रुपयों के लालच में अभियुक्त पर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अभियुक्त ने इस तरह का कोई भी अपराध नहीं किया है। पीड़िता के चाचा मान सिंह व बहन- बहनोई ने पीड़िता की सगाई अभियुक्त के साथ तय कर दी थी। जिसकी गोद- भराई दिनांक 24. 09. 2025 को तिर्वा से हुयी थी और शादी तीन साल बाद होना तय हुआ था। जबकि वादी मुकदमा, पीड़िता की शादी एक नशेबाज से दो लाख रुपये लेकर करा रहा था जिसकी जानकारी पीड़िता को हो गयी। पीड़िता अपनी मर्जी से अभियुक्त के परिवार वालों के पास चली गयी और सारी बात बतायी। पीड़िता ने पुलिस को अपने बयान धारा- 180 बी०एन०एस०एस० में बताया था कि मेरी उम्र लगभग 19 वर्ष है। अपनी मर्जी से अभियुक्त के पास गयी, क्योंकि मेरा भाई किसी से पैसे लेकर मेरी कहीं और शादी करना चाहता है इसलिये मैं अपने मंगेतर के पास गयी जिससे

Digitally signed by HIMANSHU KUMAR SINGH
Date: 2026.07.13 17:07:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मेरी गोद- भराई हुयी थी। वादी मुकदमा ने सोच- समझकर सलाह मसबिराह से प्रथम सूचना रिपोर्ट 01 माह 06 दिन बाद पुलिस से मिलकर दर्ज करायी है। अभियुक्त दिनांक 01. 07. 2026 से जिला कारागार माती कानपुर देहात में निरूद्ध है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र मा० न्यायालय या मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा अपनी बहन/ पीड़िता उम्र 14 वर्ष के करीब को वादी मुकदमा अपने साथ लेकर अपनी ससुराल ससुर कालीदीन निवासी ग्राम करवक थाना रनियां, कानपुर देहात में दिनांक 29. 03. 2026 को शादी में आया था। तभी वादी मुकदमा की बहन को रामजीत दिनांक 02. 04. 2026 शाम करीब 05:30 बजे बहला- फुसलाकर अपने साथ ले गया है। वादी मुकदमा ने इसकी सूचना रनियां थाना में की थी। वादी मुकदमा ने बहुत खोजबीन की, परन्तु कहीं पता नहीं चला है। अब वादी मुकदमा को पता चल गया है कि उसकी बहन रामजीत के साथ है और उसकी पत्नी का जेवर व पैसा 40,000/ - रुपया अपने साथ ले गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा उक्त जमानत का प्रबल विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कथित उपरोक्त अपराध कारित गया है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने पर अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

इस न्यायालय ने उक्त आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना एवं जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पत्रावली, थाना आख्या, केस डायरी आदि प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त **रामजीत यादव** पर धारा- 137(2), 87 बी०एन०एस० का आरोप लगाया गया है।

अभियुक्त की तरफ से मौखिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त झूठा व फर्जी फंसा दिया गया है। अभियुक्त जमानत मिलने के पश्चात् जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा न ही साक्षीगण को प्रभावित करेगा।

प्रश्नगत मामले में अभियुक्त द्वारा 14 वर्षीय पीड़िता को भगा लेने का आरोप लगाया गया है जिसके तथ्यों की पुष्टि स्वयं नाबालिग पीड़िता जिसकी जन्मतिथि विद्यालय यू०पी०एस० झौआ, जनपद कन्नौज के अनुरूप 02. 05. 2012 है, ने अपने बयान अन्तर्गत धारा- 180 व 183

बी०एन०एस०एस० में की है व यह बतलाया है कि वह लगभग बीस दिन अभियुक्त के साथ दिल्ली में रही फिर इलाहाबाद जाकर शादी कर ली बाद में रामजीत यादव मुझे छिबरामऊ लाया जहां कालिका मन्दिर में शादी कर ली और पति- पत्नी की तरह रहे। उक्त पूरी घटना व ब्यानात से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अभियुक्त द्वारा एक नाबालिग पीड़िता के साथ जानते हुए कि वह नाबालिग है, आर्य समाज जन समिति, कन्नौज में जाकर विवाह प्रमाण पत्र इत्यादि बनवाया गया है व शादी की गयी है व इसी के साथ उसके शैक्षणिक जन्मतिथि के विपरीत उसकी जन्मतिथि जानबूझकर उसे बालिग दर्शाने के उद्देश्य से 25. 08. 2004, उम्र 18 वर्ष दर्शायी है व यह सभी तथ्य अभियुक्त ने जानबूझकर किये हैं, तब मामले के समस्थ तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जबकि अपराध एक 14 वर्षीय नाबालिग जिसका मन, मस्तिष्क, शरीर विवाह योग्य परिपक्व नहीं था उसके साथ किया गया है तब किसी भी प्रकार के गुण- दोष पर जाये बगैर आधार जमानत पर्याप्त नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/ अभियुक्त **रामजीत यादव पुत्र श्री राजेश यादव** की ओर प्रस्तुत से नियमित जमानत प्रार्थना पत्र सं०- 1536/ 2026, अ०सं०- 72/ 2026, धारा- 137(2), 87 बी०एन०एस०, थाना रनियां, जिला कानपुर देहात तद्नुसार खारिज किया जाता है।

दिनांकः 13. 07. 2026

(हिमांशु कुमार सिंह)

अपर सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय

(महिलाओं के विरूद्ध अपराध) , कानपुर देहात।

J. O. CODE NO. - UP 1817